राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2024 पार्ट जयपुर, दिनांक

:: परिपत्र ::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 द्वारा किए गए है। उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों की मांगों एवं उनमें लम्बित न्यायिक प्रकरणों की संख्या को मध्यनजर रखते हुए सक्षम स्तर (माननीय विधि मंत्री) से अनुमोदन उपरान्त जारी किए गए है।

प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ विभाग द्वारा राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर मूल ही पैतृक विभाग विधि विभाग में लौटाया जा रहा है जो कि राजकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है जिससे उक्त कार्मिक पदस्थापन की आदेशों की प्रतीक्षा में हो जाते है व इनके वेतन भत्ते इत्यादि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः राजस्थान राज्य के सभी विभागों को यह निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 की पालना में राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों को अविलम्ब कार्यग्रहण करावें जिससे राजकीय आदेशों की पालना हो सके।

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त।
4. समस्त विभाग।
5. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 23540698
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Raghavendra Kachawal
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2026.07.22 12:27:25 IST
Reason: Approved